



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050



+918988886060

www.vajiraoinstitute.com



info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(27 March 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NJAC को क्यों रद्द किया था, और क्या इसे वापस लाया जाना चाहिए?
- मंगल ग्रह की धूल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम क्यों उत्पन्न कर सकती है?
- MCQ

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)




सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NJAC को क्यों रद्द किया था, और क्या इसे वापस लाया जाना चाहिए?

चर्चा में क्यों है?

- पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नोटों की गड़्डियाँ मिलने से उठे विवाद ने न्यायिक नियुक्तियों पर बहस को एक नया जीवन दे दिया है।

- 2014 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम का हवाला देते हुए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25 मार्च को कहा कि



अगर सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले महत्वाकांक्षी नीति सुधार को खारिज नहीं किया होता तो “चीजें अलग होतीं”।

- उल्लेखनीय है कि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए NJAC तंत्र ने सरकार को उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक रास्ता देता।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



भारत में न्यायिक नियुक्ति प्रणाली का अवलोकन:

- 1950 में, संघीय न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों को नव स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। और संघीय न्यायालय का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति हरिलाल कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश (CJ) बने।
- अगले 27 वर्षों तक, कार्यपालिका ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियाँ कीं। और यद्यपि न्यायपालिका ने कई कानूनों को रद्द कर दिया, जिससे संसद को बार-बार संविधान में संशोधन करने के लिए प्रेरित होना पड़ा, इस झगड़े ने नियुक्तियों की प्रक्रिया को मुश्किल से ही प्रभावित किया।
- लेकिन, 1970 के दशक में चीजें बदल गईं, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनने में वरिष्ठता मानदंड के साथ छेड़छाड़ करने का फैसला किया। तीन न्यायाधीशों को पीछे छोड़ते हुए, न्यायमूर्ति ए एन रे को 1973 में CJ नियुक्त किया गया। फिर 1977 में, न्यायमूर्ति एम एच बेग को न्यायमूर्ति एच आर खन्ना की अनदेखी करते हुए CJ नियुक्त किया गया, जो वरिष्ठता में पहले थे।
- उल्लेखनीय है कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के आपातकाल-युग के हस्तक्षेप के जवाब में, SC ने बाद के फैसलों में नियुक्तियों की 'कॉलेजियम' प्रणाली विकसित की।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का जन्म:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई - जिन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामले के रूप में जाना जाता है।
- यद्यपि संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख नहीं है, लेकिन इन तीन मामलों में अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की भाषा पर बहस हुई, जो क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं। इन मामलों ने स्थापित किया कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि चूंकि संविधान न्यायिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्राथमिकता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

कॉलेजियम प्रणाली की संरचना:

- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



न्यायाधीश शामिल होते हैं। 1993 से, इस कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए सरकार को सिफारिशें की हैं।

- उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में और उस न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बना तीन सदस्यीय कॉलेजियम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) बनाने के लिए कानून:

- उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में, कॉलेजियम प्रणाली भी अपारदर्शी और गैर-जवाबदेह होने के कारण आलोचनाओं के घेरे में रही है।
- ऐसे में जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, तो उसका पहला बड़ा सुधार न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में सुधार करना था। अगस्त 2014 में, संसद ने संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 पारित किया।
- इन दोनों कानूनों ने कॉलेजियम प्रणाली की जगह सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र आयोग का प्रावधान किया।

ADDRESS:



- ध्यातव्य है कि इन कानूनों पर राजनीतिक स्पेक्ट्रम में लगभग पूर्ण सहमति थी। लोकसभा ने इन कानूनों के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया।
- राज्यसभा में केवल राम जेठमलानी, एकमात्र सांसद थे जिन्होंने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से पहले इस विधेयक को 16 राज्य विधानसभाओं ने मंजूरी दी थी।

NJAC की संरचना:

- 99वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 124 का विस्तार करके कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए एक संवैधानिक निकाय के रूप में NJAC का निर्माण किया। इसकी संरचना इस प्रकार होनी थी:
 - मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष होंगे;
 - सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे;
 - केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे; और
 - नागरिक समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा नामित किया जाएगा। (प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक को एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों या महिलाओं में से नामित किया जाना था)।

ADDRESS:



- NJAC अधिनियम, सहायक कानून, NJAC के किसी भी दो सदस्यों को सिफारिश पर वीटो करने का अधिकार देता है यदि वे इससे सहमत नहीं हैं। कानून में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति के मानदंडों में वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आदि शामिल होंगे।

NJAC को न्यायिक चुनौती:

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून को चुनौती दिए जाने के केंद्र में वह वीटो पावर थी जो NJAC ने दो असहमत सदस्यों को दी थी। वीटो पावर का अनिवार्य रूप से मतलब यह होता कि ऐसा परिदृश्य हो सकता है जहां न्यायपालिका के तीन सदस्य, सीजेआई और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित सदस्यों की तुलना में संख्या में कमतर हों।
- 16 अक्टूबर, 2015 को पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 बहुमत से फैसला सुनाया कि NJAC असंवैधानिक है और "संविधान के मूल ढांचे" का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति जे एस खेहर ने बहुमत की राय लिखी, साथ ही न्यायमूर्ति मदन लोकर, कुरियन जोसेफ और ए के गोयल ने अलग-अलग सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने असहमति जताई।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



NJAC को रद्द करने में मुख्य मुद्दा वीटो का था:

- 2015 में दो महीने तक चली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी कुछ लोगों ने वीटो पावर पर बातचीत करने की मांग की थी। लोगों का मानना था कि अगर सरकार जजों के खिलाफ वीटो पर जोर नहीं देती, तो संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी मिल सकती थी।
- वीटो के अलावा एक और मुद्दा NJAC के भीतर 3-3 गतिरोध की आशंका थी। दिसंबर 2023 में एक साक्षात्कार में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कहा था कि "भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णायक मत देना चाहिए था"। उन्होंने आगे कहा था कि "इससे न्यायपालिका को प्रमुखता मिलती। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, नियुक्ति को पारित किया जाना चाहिए, और सरकार को इस पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए। अगर न्यायपालिका के प्रमुखता की रक्षा की जाती, तो NJAC को संतुलित किया जा सकता था। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी... इसे संभवतः स्वीकार किया जा सकता था अगर इसे अलग रखने के बजाय इसमें बदलाव किया जाता"।

ADDRESS:



सुप्रीम कोर्ट को NJAC पर पुनर्विचार करना चाहिए: के के वेणुगोपाल

- उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 124 में प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से 'परामर्श' के बाद ही करेंगे।
- संविधान सभा में "परामर्श" को "सहमति" में बदलने का सुझाव दिया गया था, जिसे बी. आर. अंबेडकर ने अस्वीकार कर दिया। स्वतंत्रता के बाद न्यायिक नियुक्तियाँ सुचारू रूप से चलीं, तथा 1981 में प्रथम न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने "परामर्श" को "सहमति" के रूप में मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन 1990 के दशक में, अदालत ने अपने रुख को बदलते हुए "कॉलेजियम प्रणाली" लागू की, जिससे नियुक्ति की शक्ति न्यायपालिका के पास चली गई।
- 2014 में संसद ने सर्वसम्मति से 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) बनाया, जिसमें सरकार की सीमित भागीदारी थी। लेकिन 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि यह न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। हालांकि, बाद में एक

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050



+918988886060

www.vajiraoinstitute.com




info@vajiraoinstitute.com

न्यायाधीश (न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ) जो इस फैसले का हिस्सा थे ने इस निर्णय पर खेद जताया।

- ऐसे में यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर जनहित में पुनर्विचार किया जाना चाहिए और यह उचित होगा कि NJAC पर सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाए, ठीक उसी तरह जैसे द्वितीय न्यायाधीश मामले में प्रथम न्यायाधीश मामले के निर्णय पर पुनर्विचार किया गया था।

साभार: द इंडियन एक्सप्रेस



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



मंगल ग्रह की धूल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम क्यों उत्पन्न कर सकती है?

चर्चा में क्यों है?

- एक नए अध्ययन के अनुसार, मंगल ग्रह की धूल से अंतरिक्ष यात्रियों में श्वसन संबंधी समस्याएं और बीमारी का जोखिम बढ़ सकता है। इसमें पाया गया कि धूल के बारीक कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। यह अध्ययन, 'भविष्य के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण पर मंगल ग्रह की धूल के संभावित स्वास्थ्य प्रभाव, उपचार और प्रतिवाद', हाल ही में जियोहेल्थ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।



- उल्लेखनीय है कि यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि नासा और चीन की मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी अगले दशक में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बना रही है। उनके मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को महीनों तक मंगल ग्रह पर रहना शामिल है।

ADDRESS:



- ध्यातव्य है कि हर मंगल वर्ष (जो 686.98 पृथ्वी दिनों तक रहता है), ग्रह पर क्षेत्रीय धूल के तूफान आते हैं। हर तीन मंगल वर्ष में ये तूफान, ग्रह को घेरने वाले धूल के तूफानों में बदल जाते हैं।

मंगल ग्रह की धूल कण का अंतरिक्ष यात्रियों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है?

- शोधकर्ताओं ने पाया कि मंगल ग्रह की धूल के कण का आकार काफी छोटा है (यह मानव बाल की चौड़ाई का लगभग 4% है), जो इसे मनुष्यों के लिए अधिक खतरनाक बनाता है। मंगल ग्रह पर धूल के कणों का औसत आकार हमारे फेफड़ों में मौजूद बलगम के न्यूनतम आकार से बहुत छोटा है, इसलिए वे बीमारी का कारण बनने की अधिक संभावना रखते हैं।
- इसके अलावा, ऐसे कई जहरीले तत्व हो सकते हैं, जिनके संपर्क में अंतरिक्ष यात्री आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिलिका धूल और लोहे की धूल की बहुतायत है। सिलिका सिलिकोसिस का कारण बनता है, जो एक प्रकार का फेफड़ों का रोग है।
- मंगल ग्रह की धूल में परक्लोरेट्स और जिप्सम जैसे जहरीले पदार्थ और क्रोमियम और आर्सेनिक जैसी हानिकारक धातुएँ भी शामिल हैं। मंगल ग्रह पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और विकिरण के कारण इन विषाक्त पदार्थों का प्रभाव अधिक

ADDRESS:



महत्वपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से, विकिरण के संपर्क में आने से फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के फेफड़ों पर धूल के प्रभाव को और बढ़ा सकती है।

मंगल ग्रह की धूल से कैसे निपटा जा सकता है?

- शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में धूल के प्रदूषण को सीमित करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने क्रोमियम के संपर्क से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए विटामिन सी के उपयोग का सुझाव दिया है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि आयोडीन परक्लोरेट से होने वाली थायराइड बीमारियों से निपटने में मदद कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि धूल के संपर्क को सीमित करने के लिए एयर फिल्टर, सेल्फ-क्लीनिंग स्पेस सूट और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन डिवाइस (जो धूल के कणों को हटाते हैं) का उपयोग आवश्यक है। जोखिम को कम करने के लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैं क्योंकि "मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशन के पास उपचार के लिए पृथ्वी पर तेजी से लौटने की सुविधा नहीं है।"

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM):

- मंगल ग्रह पर भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) 05 नवंबर, 2013 को पीएसएलवी-सी25 पर लॉन्च किया गया था।
- इसरो मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है।
- MOM मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पांच वैज्ञानिक पेलोड ले गया था। हालांकि डिज़ाइन किए गए मिशन का जीवन 6 महीने था, MOM ने 24 सितंबर, 2021 को अपनी कक्षा में 7 साल पूरे कर किये थे।

साभार: द इंडियन एक्सप्रेस

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



MCQ

Q.1. चर्चा में रहे 'संविधान के अनुच्छेद 124 (2)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसके संवैधानिक व्याख्या के क्रम में भारतीय न्यायपालिका द्वारा 'कॉलेजियम' प्रणाली को विकसित किया गया है।
2. इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 'कॉलेजियम' की सिफारिश पर की जाती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (a)

Q.2. निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसे न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक बताया गया है?

- (a) 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
- (b) 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2014
- (c) 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011
- (d) इनमें से कोई नहीं।

Ans. (b)

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



Q.3. चर्चा में रहे 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)' के संदर्भ में निम्नलिखित

कथनों पर विचार कीजिये:

1. संविधान के अनुच्छेद-124 का विस्तार करके कॉलेजियम प्रणाली के बदले

एक संवैधानिक निकाय के रूप में NJAC का निर्माण किया गया था।

2. इसकी कार्य प्रक्रिया से जुड़ी सबसे गंभीर समस्या इसके किन्हीं भी दो

सदस्यों को वीटो की शक्ति देना था।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (c)

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



Q.4. हाल ही में एक अध्ययन में बताये गए मंगल ग्रह की धूल कण का अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) मंगल ग्रह की धूल के कण का आकार काफी छोटा है, जो इसे मनुष्यों के लिए अधिक खतरनाक बनाता है।
- (b) इसमें कई ऐसे जहरीले तत्व, जैसे सिलिका धूल, हो सकते हैं जो सिलिकोसिस जैसे रोग का कारण बन सकते हैं।
- (c) मंगल ग्रह पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और विकिरण के कारण इन विषाक्त पदार्थों का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।
- (d) उपर्युक्त सभी सही कथन है।

Ans. (d)

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



Q.5. भारत के मंगलयान या 'मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह मंगल ग्रह पर भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था, जो नवंबर, 2013 को लॉन्च किया गया था।
2. इसरो मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली दूसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (a)

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)